MAH/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

Vidyawarta®

Peer Reviewed International Refereed Research Journal

Issue-30, Vol-07 April to June 2019

Editor
Dr.Bapu G.Gholap

39) आतंकवाद : समस्या और समाधान
शिवम् वर्मा, बाँदा (उ०प्र०) ||162

40) भारत में पंचायती राज
रूपा शेखावत, चूरू (राज.) ||166

www.vidyawarta.com/03 | http://www.printingarea.blogspot.com

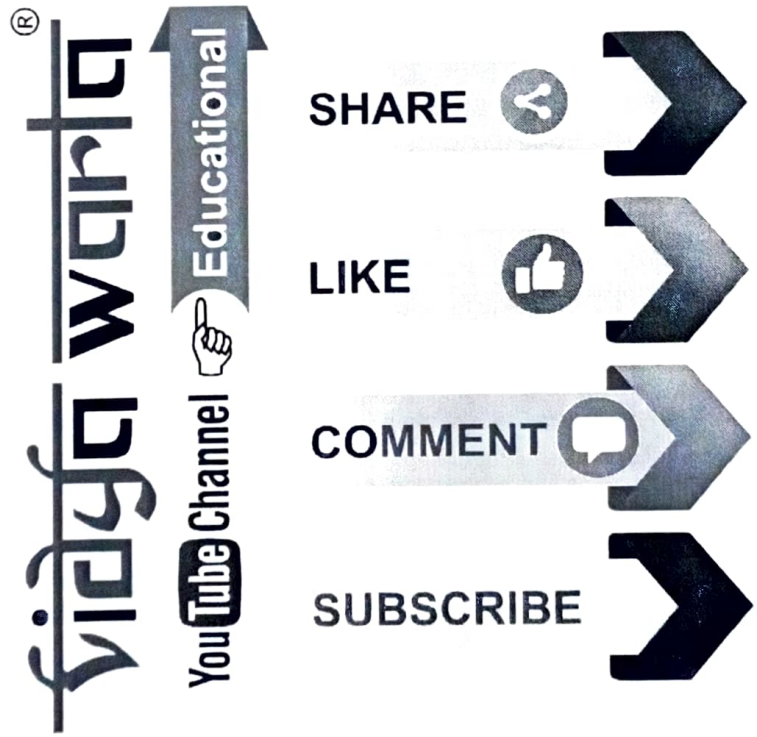

१. इकबाल अहमद ''आतंकवाद पर सीधे बात'' मासिक समीक्षा (Monthly Review), जनवरी, २००२.

२. सुब्रमण्यम स्वामी — ''भारत में आतंकवाद : भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शक्ति संतुलन की एक रणनीति'', हर आनंद प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण वर्ष २००८, पृष्ठ ४२५

३. शिवानी रसवान — ''सीमा पार आतंकवाद भारत में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में'', इंडिया विज बुक्स प्रालि. नई दिल्ली, संस्करण वर्ष २०१४, पृष्ठ २४४

४. द मारवाह —''अशिष्ट वार्स : भारत में आतंकवाद की विकृति, सेंटर फार पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली, संस्करण वर्ष १९९५, पृष्ठ ४७२,

५. शारदा जैन — ''अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और विश्व राजनीति'', दीप और दीप नई दिल्ली, संस्करण वर्ष २०१३, पृष्ठ ४१६

६. डॉ. प्रेम महादेवन — ''भारत में आतंकवाद की राजनीति'', आई.बीटौरिस कं., लंदन, संस्करण वर्ष २०११, पृष्ठ ३२०

❑❑❑

40

भारत में पंचायती राज

रूपा शेखावत
सह आचार्य — राजनीति विज्ञान
राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू(राज.)

सारांश — भारत में संघीय तथा प्रांतीय शासन व्यवस्था के अतिरिक्त स्थानिक स्वशासन अर्थात् नगरपालिकाओं तथा ग्राम पंचायतों द्वारा शासन संचालित करने का भी प्रावधान है। भारत की स्वतंत्रता के बाद ग्राम—पंचायतों के संगठन हेतु प्रभावी कदम उठाए गए। पुन: इनकी स्थापना, महत्व व उपयोगिता में वृद्धि हो गई। ७३वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्रामों में पंचायती राज की स्थापना हेतु त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया एवं इनकी शक्तियों एवं कार्यों में विस्तार किया गया।

त्रिस्तरीय प्रणाली में जिला स्तर पर जिला परिषद्, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था में आए अनेक अवरोधों को दूर करने के लिए १९७७ ई. में 'अशोक मेहता समिति', १९८५ ई. में जी. टी. के राव समिति एवं १९८६ में 'लक्ष्मी मल सिंधवी समिति', १९८८ में 'थुंगन समिति', १९८८ में 'वी. एन. गाडगिल की अध्यक्षता में गाडगिल समिति' का गठन किया गया। ये सभी एकमत थे कि पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाए। २४ अप्रैल, १९९३ ई. में ७३वां संविधान विधेयक लागू जो पंचायती राज के आधुनिक इतिहास में अविस्मरणीय है। इस कानून के द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया। पांच वर्ष बाद पंचायतों का चुनाव, अनुसूचित जातियों, जनजातियों व महिलाओं के लिए कम से कम एक—तिहाई सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। ७३वां संविधान संशोधन के

तहत अनुच्छेद २४३ में एक नया भाग और संविधान में ११वीं अनुसूचि जोड़ी गयी। उसी साल ०१ जून से ७४वां संविधान संशोधन भी लागू हो गया इनके साथ ही भारत की संघीय व्यवस्था में बुनियादी बदलाव आया।

मुख्य शब्द — स्थानीय स्वशासन, त्रिस्तरीय, मैग्नाकार्टा, संवैधानिक, पंचायतीराज संस्थाएं, ग्रामीण विकास, प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण।

प्रस्तावना — ब्रिटिश शासकों ने सन् १८६४ में बम्बई तथा मद्रास प्रेजीडेन्सियों में पंचायतों को न्याय पंचायत का वैधानिक अधिकार प्रदान किया। सन् १८७० में लार्ड मेयो द्वारा स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय स्वायतता देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। १२ मई, १८८२ को लार्ड रिपन जो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं, ने ग्रामीण संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था की। रिपन के प्रस्ताव "Magna Carta of Local Self Government" भी कहलाते हैं।

'विकेन्द्रीकरण आयोग' ने सन् १९०९ में ग्राम, तहसील तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय स्थानीय शासन की अनुशंसा की थी।

स्वतंत्रता के पश्चात् ०२ अक्टूबर, १९५९ से भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के त्रिस्तरीय ढांचे की शुरूआत हुई। स्थानीय स्वशासन को सन् १९९२ में ७३वें (ग्रामीण स्थानीय स्वशासन) तथा ७४ वें (नगरीय स्थानीय स्वशासन) संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक स्तर प्रदान कर दिया गया है। इस प्रकार प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए नगरों में नगर निगम और नगरपालिका इत्यादि तथा गांवों में पंचायती राज संस्थाओं का प्रवर्तन है। पंचायती राज की परिकल्पना, स्वरूप एवं उसके माध्यम से ग्रामीण विकास की अवधारणा आजकल की बात नहीं अपितु इसका इतिहास वैदिक काल से भी पूर्व का है। वैदिक काल में भी पंचायती राज का अस्तित्व था। उस समय ग्राम का प्रमुख ग्रामीण होता था जो पंचायत का भी प्रमुख होता था। बौद्ध काल में ग्राम परिषदें थी जिनका कार्य ग्राम भूमि कर, लगान की व्यवस्था एवं शांति, सुरक्षा स्थापित करना था। मौर्य काल में भी चाणक्य ने ग्राम को राजनीति की इकाई के रूप में स्वीकार किया था। अर्थशास्त्र के 'ग्रामिक' शब्द का बहुत बार प्रयोग किया गया है जो ग्राम का प्रमुख हुआ करता था। इसी प्रकार गुप्तकालीन शासन हो या दक्षिण के चोल साम्राज्य हो पंचायती राज का स्वरूप स्पष्ट नजर आता है।

मध्यकाल (१२००—१५२६) के सल्तनत काल के दौरान राज्य की सबसे छोटी शासकीय इकाई गांव थी। ग्राम पंचायतों का प्रशासनिक स्तर अत्यन्त उत्कृष्ट था। ब्रिटिश काल में पंचायती राज अर्थात् सर्वप्रथम पंचायत व्यवस्था को तहस—नहस करने को चुना गया। परन्तु यह सुदृढ़ प्रणाली टूटी नहीं और उसका स्वरूप बिरादरी ने ले लिया। लेकिन बाद में अंग्रेजों को समझ आया और सन् १९२० ई. में सभी प्रान्तों में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर उसे अत्यल्प अधिकारी के साथ क्रियान्वित किया गया। अंग्रेजी शासन में पंचों का जनता द्वारा चुनाव न होकर वे सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते थे। न ही उन्हें न्यायिक अधिकार ही सौंपे गए। इस काल में लाल, बाल, पाल, सुभाषचन्द्र बोस, दादाभाई नौरोजी, महात्मा गांधी ने कई बार ग्राम पंचायतों के गठन एवं ग्राम विकास के लिए विभिन्न आन्दोलन किये। गुरू रविन्द्रनाथ टेगोर ने सन् १९२० ई. में शान्ति निकेतन में ग्रामीण सुधार की दिशा में ग्रामीण विकास एवं बाल शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ किया। महात्मा गांधी ने सन् १९३२ में सेवाग्राम में ग्रामीणों के स्वावलम्बन के लिए अनेक प्रयास किए।

स्वतंत्र भारत में पंचायती राज — भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में पंचायती राज की स्थापना का प्रयास वास्तविक रूपों से सजीव एवं साकार प्रयास था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरूआत ०२ अक्टूबर, १९५२ में की गई। इसके बाद पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले राजस्थान राज्य में हुई। ०२ सितम्बर, १९५९ को राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम पारित किया और इनके क्रियान्वयन में ०२ अक्टूबर, १९५९ को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री प जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में पंचायत राज का

उद्घाटन कर ग्रामीण विकास के प्रथम चरण की शुरूआत की। ११ अक्टूबर, १९५९ को नेहरू ने आंध्रप्रदेश के 'त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली' का सूत्रपात किया। इसके बाद अन्य राज्यों में भी शुरूआत की गई।

साहित्यावलोकन — प्रस्तुत शोध पत्र में अनेक सुप्रसिद्ध इतिहासकारों एवं राजनीति विज्ञान के विद्वानों की पुस्तकों की सहायता ली गयी है। सौभाग्य से मुझे 'भारत में पंचायती राज' डॉ. के. के. शर्मा एवं डॉ. गिरवर सिंह राठौड़ की 'भारत में पंचायती राज' पुस्तकें पढ़ने को मिली जिनसे मुझे शोध—पत्र लिखने में काफी सहायता मिली। इसके अतिरिक्त एस. आर. माहेश्वरी की भारत में स्थानीय शासन, अशोक शर्मा की पंचायती राज जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों से भी प्रमुख जानकारी प्राप्त हुई।

निष्कर्ष — यही कहा जा सकता है कि भारत में स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं को स्थापित करने के लिए पंचायत व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। जनता स्वयं शासन करती है एवं ग्रामीण जनता की लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी में भी वृद्धि होती है जो भारतीय शासन एवं समाज के उत्थान हेतु परम आवश्यक है। पंचायत व्यवस्था लोकतंत्र की प्रयोगशाला है यह नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती है एवं नागरिक गुणों का विकास भी संभव हो जाता है।

सन्दर्भ सूची —

१. एस. आर. माहेश्वरी : भारत में स्थानीय शासन २. बी. एम. सिन्हा : भारत में नगरीय सरकारें

३. B. Venkata Rao : A Hundred Years of Local Government.

४. Muttalib & Khan : Theory of Local Government

५. S. R. Maheshwari : Local Government in India

६. S. R. Nigam : Local Government

७. William A. Robson : Great Cities of the World.

८. आर. बी. जैन : पंचायती राज

९. Iqbal Narain : Democratic Decentralization : The Idea, the Image and the Reality.

१०. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, २००४

११. भारत—२००४ : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

१२. गिरधारी लाल व्यास समिति प्रतिवेदन, सामुदायिक विकास और पंचायत विभाग, राजस्थान

१३. सादिक अली, पंचायती राज अध्ययन दल की रिपोर्ट, पंचायत एवं विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

१४. रविन्द्र शर्मा: ग्रामीण स्थानीय प्रशासन

१५. अशोक शर्मा : भारत में स्थानीय प्रशासन

१६. डॉ. अमर सिंह राठौड़ : ''पंचायती राज एक परिदृश्य'' राजस्थान सुजस मई २००१, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर

१७.Narayanan (Forwarded)-Panchayati Raj as the basis of Indian Polity, P. 06

❑❑❑